SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION (Regd.)

स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संघ

OFF- 36, SDM COURT COLONY, OPP GALI NO 3, SIKANDRABAD, DISTT BULANDSHAHR-203205

E-Mail- sfcf2023@gmail.com Cell- 91+8954891289, +91-9997708995

Ref. No:- 2025/01/SFCF/ 92 **Date:-** 30.01.2025

ज्ञापन

सेवा में,

कुलसचिव / परीक्षा नियन्त्रक, / प्रति कुलपति जी,

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः— कॉलेजों एवं उनसे सम्बन्धित छात्रों के सम्मुख आ रही समस्याओं एवं उनका वृहद समय से निस्तारण न हो पाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप कृपया अवगत हों कि फैडरेशन द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से छात्रों एवं कॉलेजों की समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखा है लेकिन उसमें से अभी भी कुछ बड़ी समस्यायें यथावत बनी हुई हैं, जिससे छात्र एवं संस्थान दोनों परेशान हैं। कृपया अग्रलिखित बिन्दुओं पर फैडरेशन आपसे मांग करती है कि सम्बन्धितों को तत्काल निर्देश जारी कर समाधान कराने का कष्ट करें :—

1. कॉलेजों की डिटेन अंकतालिकाओं के लिये कॉलेजों से सामूहिक रूप से छात्रों के आवेदन एक साथ लिये जायें जिसके लिये एकल खिड़की की व्यवस्था की जाये जहां पर कॉलेज अपने आवेदन जमा कर सकें एवं ऐसे आवेदन 15 दिवस में निस्तारित हों और निस्तारित अंकतालिकायें सीधे एकल खिड़की से कॉलेजों को प्राप्त करायी जायें।

2. एकल खिड़की पर प्राप्त आवेदन तय समय में निस्तारित नहीं होने पर सम्बन्धित पटल प्रभारियों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3. विश्वविद्यालय द्वारा बैक एवं एक्स श्रेणी के छात्रों की अंकतालिकायें डिटेन की जाती हैं जिसके बाद छात्रों को विश्वविद्यालय रिकॉर्ड लेकर बुलाया जाता है और अपडेट करके मार्कशीट प्रदान करने की

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION SFCF

Scanned with OKEN Scanner

प्रक्रिया है। इसमें बदलाव किया जाये। बैक एवं एक्स श्रेणी के समस्त छात्रों की मार्कशीट का रिकॉर्ड विश्वविद्यालय अपडेट करे और कॉलेजों को सीधे प्राप्त कराये।

4. NEP में लगभग 15 हजार छात्रों की अंकतालिकायें बैक एवं एक्स श्रेणी में डिटेन हैं। सभी छात्रों की अंकतालिकायें विश्वविद्यालय अपडेट करे और कॉलेजों को उपलब्ध कराये।

5. परीक्षा विभाग द्वारा मार्कशीट डिटेन किये जाने का कारण कॉलेजों को नहीं बताया जाता, पूर्व में यह व्यवस्था थी लेकिन लगभग 04 वर्ष से डिटेन लिस्ट कॉलेजों को नहीं दी जाती, जिससे मनमानी होती है। मार्कशीट रोके जाने का कारण विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित कॉलेजों को अवश्य उपलब्ध कराया जाये जिससे ऐसे प्रकरणों पर कॉलेज कार्यवाही करते हुए विश्वविद्यालय से निस्तारण करा सके।

6. विवि0 ने मार्कशीट के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया उस पोर्टल पर आवेदन होने पर उसके बाद लॉगिन ही नहीं होता। इसके बाद आवेदन हो जाये तो महीने तक वो आवेदन केवल ऑनलाइन अंडर प्रोसेस ही दिखाता है अंत में छात्र को विवि0 में संपर्क करना होता है और जादुई व्यवस्था से उसका काम हो जाता है ऐसी में इस पोर्टल की व्यवस्था को बंद किया जाना भी विवि0 की आर्थिक हित में होगा क्योकि जिस उद्देश्य से इसको लागू किया गया वो उस पर खरा नहीं उतर रहा है। ऑनलाइन पोर्टल पर मार्कशीट अपडेट किये जाने प्रकरणो में 100 रु पोस्टल खर्च ऑनलाइन लिया जाता है लेकिन मार्कशीट केवल ऑनलाइन प्रोसेस ही दिखती है ऐसे में इस तरह की प्रणाली विकसित करने का कोई लाभ नहीं है।

7. विश्वविद्यालय में परीक्षा फार्म के साथ माइग्रेशन मूल रूप में जमा होने के बाद भी अंकतालिकायें डिटेन की जाती हैं, छात्र एवं कॉलेज विश्वविद्यालय में परेशान होते हैं और कई बार तो माइग्रेशन की प्राप्ति को ही यह कहकर अस्वीकार कर दिया जाता है कि जिस व्यक्ति द्वारा प्राप्ति दी गयी है अब वह विभाग में नहीं है इसलिये माइग्रेशन का पता नहीं है। इस प्रक्रिया पर अविलम्ब रोक लगायी जाये और जिन छात्रों के मूल माइग्रेशन कॉलेज द्वारा जमा किये जाते हैं उनकी अंकतालिकायें न रोकी जायें और अगर इसके बाद भी नियमाविरूद्ध कोई अंकतालिका रोकी जाती है तो सम्बन्धित पटल प्रभारी पर अविलम्ब कठोर कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाये।

8. विश्वविद्यालय में सम्बन्धता के लिये 03 वर्ष के परीक्षाफल एवं नकलविहीन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जो कि सम्बन्धित पटल प्रभारियों द्वारा समय से जारी नहीं होता और कॉलेज इससे प्रभावित होते हैं। इसके लिये व्यवस्था बनायी जाये जिससे एक सप्ताह में ऐसे प्रकरणों का निस्तारण हो।

9. प्रयोगात्मक परीक्षाओं के बिल विश्वविद्यालय में गोपनीय विभाग से सम्बन्धित विभागों को नहीं भेजे जाते जिससे 10 वर्ष से भी अधिक के बिल लम्बित हैं, इनका भुगतान कराये जाने के लिये समय सीमा निर्धारित की जाये एवं विभाग में प्रयोगात्मक परीक्षा के बिल जमा होने के 15 दिवस में सम्बन्धित विभाग को अग्रिम कार्यवाही को अग्रसारित किये जायें।

10. विवि0 के गोपनीय विभाग में पटल पर एक दशक से जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो आज तक वही है। विवि0 के इस विभाग में शायद स्थानांतरण नीति लागू ही नहीं होती है। दशकों से इस

SELF FINANCE FEDERATION SFCF

Scanned with OKEN Scanner

विभाग में जमे कर्मचारी व्यवस्था को इस रूप में आखिर क्यों नहीं लेकर आ पाए की छात्र विवि0 आने को विवस ही नहीं हो। विवि0 की इस वयवस्था से आज भी हजारों छात्र परेशान है। इस व्यवस्था में अप्रत्यक्ष हितो को अनदेखा नहीं किया जा सकता है।

आप इस विषय में गंभीर होकर इस समस्या के स्थाई निदान को खोजने का प्रयास कॉलेजों के माध्यम से करेंगी ऐसी हमे आशा है। कॉलेजो को साथ लेकर इस समस्या को शीघ्रता और सुलभता से हल भी किया जा सकता है लेकिन उसके लिए एक संकल्प की और व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है।

"फेडरेशन" आपसे छात्र–कॉलेजों के हित में अनुरोध करती है की समस्याओ के समाधान के लिए व्यापक पहल करते हुए इस प्रकरण पर सार्थक निर्णय यथाशीघ्र लागू कराने का कष्ट करे।

आदर सहित।

30/1/25

(एड0 नितिन यादव)	(डॉ0 अनिल शर्मा)	(डॉ0 राजीव गुप्ता)
राष्ट्रीय अध्यक्ष	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	राष्ट्रीय महासचिव

स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संघ
SFCF
SELF FINANCE COLLEGE FEDERATION

Scanned with OKEN Scanner